उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन), कालाकांकर हाउस,

पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

पत्रांक 11322 /यूपीरेरा/प्रशा./क्यूपीआर/2025-26 दिनांक: 06/11/2025

<u>कार्यालय-आदेश</u>

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-11 के प्राविधानों के अनुसार भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकृत परियोजनाओं की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यू.पी.आर.) प्राधिकरण के पोर्टल पर अद्यतन किया जाना अनिवार्य है, जिससे घर खरीददारों तथा जनमानस को परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी रेरा पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में प्राप्त हो सके।

उपरोक्त के क्रम में भू-संपदा प्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) के लिए आवश्यक है कि वर्ष के प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के 15 दिन के अंदर अपनी पंजीकृत परियोजनाओं की क्यू.पी.आर. रेरा पोर्टल पर अद्यतन करें। इस संबंध में उ.प्र. रेरा पोर्टल पर निम्नवत व्यवस्था निर्धारित की जाती है –

1. सिस्टम द्वारा स्वचालित सूचना प्रेषण –
   - 1.1 प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति से 5 दिन पूर्व सिस्टम द्वारा प्रोमोटर्स को क्यू.पी.आर. से संबंधित आवश्यक अभिलेख एवं जानकारियाँ तैयार रखने के लिए ईमेल प्रेषित किया जाएगा।
   - 1.2 क्यू.पी.आर. अपडेशन अवधि आरंभ होने पर सिस्टम द्वारा प्रोमोटर्स को अग्रिम 15 दिन में रेरा पोर्टल पर क्यू.पी.आर. अपडेट करने के लिए अनुस्मारक ईमेल प्रेषित होगा।
   - 1.3 उपरोक्त अनुस्मारक ईमेल क्यू.पी.आर. अपडेशन अवधि के छठे एवं बारहवे दिन भी सिस्टम द्वारा प्रोमोटर्स प्रेषित होंगे।
2. अनुपालन की निगरानी तथा स्वचालित नोटिस प्रेषण –
   - 2.1 समयावधि में परियोजना की क्यू.पी.आर. रेरा पोर्टल पर अपडेट न होने की दशा में सिस्टम द्वारा प्रोमोटर्स को ईमेल के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया जाएगा।
   - 2.2 नोटिस के अनुपालन के लिए प्रोमोटर्स को अग्रिम 15 दिन के भीतर लेट-फीस के साथ क्यू.पी.आर. अपडेट करने का समय दिया जाएगा।
   - 2.3 उपरोक्त 15 दिन में भी क्यू.पी.आर. अपडेट न होने की दशा में, सिस्टम द्वारा परियोजना को "डिफ़ॉल्ट ऑन क्यू.पी.आर." मार्क करते हुए रेरा पोर्टल पर रेड फ्लैग कर दिया जाएगा।
   - 2.4 क्यू.पी.आर. अपडेट होने पर परियोजना से रेड फ्लैग स्वतः हट जाएगा।
   - 2.5 लगातार 02 त्रैमास के क्यू.पी.आर. लंबित होने की स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा-11, 38 एवं 61 के अंतर्गत प्रोमोटर को कारण-दर्शाओ नोटिस निर्गत करने हेतु सिस्टम द्वारा परियोजना को हाइलाईट कर दिया जाएगा।

परियोजना की फिज़िकल क्यू.पी.आर., फाइनेन्शियल क्यू.पी.आर. तथा सीए, इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट लंबित होने की दशा में लेट फीस जमा कर क्यू.पी.आर. रेरा पोर्टल पर अपडेट की जा सकेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(महेंद्र वर्मा)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपी – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण।
2. तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण।
3. सहायक निदेशक (सिस्टम्स), उ.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण।
4. उ.प्र. रेरा में पंजीकृत समस्त प्रोमोटर्स को अनुपालनार्थ।

(महेंद्र वर्मा)
सचिव